

(1)

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

पेन्शन प्रपत्र (भाग-1)

पेन्शन/सेवानिवृत्ति ग्रेज्युटी/राशिकरण के लिए प्रार्थना पत्र

सेवा में

—(कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम तथा पता)

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् है। मुझे पेन्शन, सेवानिवृत्ति ग्रेज्युटी तथा पेन्शन का राशिकरण स्वीकृत करने की कृपा करें :—

अभिज्ञान सं.

1— नाम

सम्प्रेक्षा सं.

2. पिता/पति का नाम

3. सेवानिवृत्ति के पश्चात् का पता

(क) स्थायी निवास स्थान

(ख) पत्र व्यवहार का पता

4. जन्म तिथि

5. सेवा प्रारम्भ करने की तिथि

6. सेवा निवृत्ति की तिथि

7. अन्तिम पद, जहाँ से सेवानिवृत्त

हुए, का पदनाम तथा कार्यालय

का नाम एवं पता

8. मृत्यु होने की दशा में नामिनी

का नाम एवं पता जिसे जीवन

कालीन अवशेष का भुगतान किया जाय

9. पेन्शन का भाग या पेन्शन की

धनराशि जिसका राशिकरण

अपेक्षित है।

(2)

10. भुगतान किस खण्ड से आहरित  
करना चाहते हैं

11. परिवार का विवरण :—

क्रम सं.	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्मतिथि	सेवा निवृतक सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/ अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6

दिनांक :

भवदीय / भवदीय,

(कारपोरेशन सेवक के हस्ताक्षर)

## घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण सही है। मुझे नियमानुसार पेन्शन / सेवा—आनुतोषिक, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेन्शन का राशिकरण स्वीकृत कर दिया जाय। मैं भली भांति अवगत हूँ कि यदि मुझे अनुमन्य धनराशियाँ विष्य में अधिक पायी जायेगी तो मुझे अधिक प्राप्त धनराशियाँ वापस करनी होंगी। मैं बचन देता / देती हूँ कि मुझे उपरोक्तानुसार आगणित वार्तविक धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृति धनराशि के पुनरीक्षित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अधिक प्राप्त धनराशि को तत्काल कारपोरेशन को वापस कर दूँगा / दूँगी।

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर

(कारपोरेशन सेवक के हस्ताक्षर)

किये गये (यथासम्भव उसी कार्यालय के सदस्य  
होने चाहिये जहाँ से सेवानिवृत्त हुए)

1. नाम ..... हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित

पता .....

2. नाम ..... हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा पद नाम

पदनाम .....

दिनांक : .....

पता .....

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

पेन्शन प्रपत्र (भाग-2)

(पारिवारिक पेन्शन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए प्रार्थना-पत्र)

सेवा में,

(कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम तथा पता)

महोदय,

मेरा तथा मृत कारपोरेशन सेवक का विवरण निम्नवत् है। मुझे पारिवारिक पेन्शन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करने की कृपा करें।

1. मृत कारपोरेशन सेवक का नाम .....  
.....
2. मृत कारपोरेशन सेवक के पिता / पति का नाम .....  
.....
3. मृत कारपोरेशन सेवक द्वारा धारित  
अन्तिम पद का नाम तथा विभाग  
कार्यालय का नाम एवं पता .....  
.....
4. क्या मृत कारपोरेशन सेवक पेन्शन  
पा रहा था ? यदि हाँ तो :—  
(क) सेवानिवृत्ति का दिनांक .....  
.....  
(ख) पेन्शन भुगतान करने वाले अधिकारी  
का पदनाम एवं पता .....  
.....
5. प्रार्थी का  
(क) नाम .....  
.....  
(ख) पिता / पति का नाम .....  
.....  
(ग) जन्म तिथि .....  
.....  
(घ) मृत सेवक से सम्बन्ध .....  
.....
6. मृत्यु के उपरान्त विधवा अथवा परिवार  
के सम्बन्धित सदस्य का पता जिसे  
पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत की जायेगी :—  
(क) स्थायी निवास स्थान : .....  
.....  
(ख) पत्र व्यवहार का पता : .....  
.....

(4)

7. कारपोरेशन सेवक की मृत्यु का दिनांक :  
(मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न है)
8. मृत कारपोरेशन सेवक के परिवार का विवरण :

क्रम सं.	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्मतिथि	सेवा निवृतक सेवक से सम्बन्ध	विवाहित / अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6

9. खण्ड का नाम जहाँ से भुगतान अपेक्षित है .....
10. अन्तिम पारिवारिक पेन्शन / ग्रेच्युटी की धनराशि (यदि कोई स्वीकृति की गयी हो) :
- (क) पारिवारिक पेन्शन कब से ..... कब तक ..... रु. ....
- (ख) मृत्यु ग्रेच्युटी ..... रु. ....

दिनांक :

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)  
या अंगूठे का निशान

### घोषणा

मैं ..... पत्नी / पति / पुत्र / पुत्री स्वर्गीय श्री ..... की (विभाग / कार्यालय का नाम) ..... द्वारा दी जाने वाली पारिवारिक पेन्शन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकार करते हुए यह घोषित करता / करती हूँ कि यदि नियमानुसार अनुमन्य पारिवारिक पेन्शन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी से अधिक धनराशि किसी त्रुटिवश भुगतान कर दी जाती है तो उसके पुनरीक्षण में तथा अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वापसी में मुझे कोई आपत्ति न होगी।

दिनांक :

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)  
या अंगूठे का निशान

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

(1) नाम

पद नाम

पता

(2) नाम

पद नाम

पता

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

दिनांक :

(उपर्युक्त साक्षी यथासम्भव उसी कार्यालय में कार्यरत होने चाहिए जहाँ मृतक कर्मचारी कार्यरत था अन्य स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी साक्षियों के सम्बन्ध में अपने विवेक से निर्णय लेंगे।)

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

पेन्शन प्रपत्र (भाग-3)  
(पेन्शन / पारिवारिक पेन्शन स्वीकृति हेतु प्रपत्र)

## प्रार्थी का विवरण

1. कारपोरेशन सेवक का नाम :

पद नाम तथा कार्यालय का नाम :

2. कारपोरेशन सेवक की मृत्यु की दशा में

पारिवारिक पेन्शन / मृत्यु ग्रेच्युटी हेतु

लाभार्थी का नाम तथा सेवक से सम्बन्ध

3. नमूने के हस्ताक्षर :

(क) कारपोरेशन सेवक के (उसके जीवित रहने पर करवाये जायेंगे)

1.

2.

3.

(ख) कारपोरेशन सेवक की पत्नी या अन्य

1.

लाभार्थी के (उसके जीवित रहने अथवा मृत्यु

2.

होने दोनों दशाओं में करवाये जायेंगे)

3.

4. यदि कारपोरेशन सेवक या उसकी पत्नी / पति अथवा

अन्य प्रार्थी अंग्रेजी, हिन्दी अथवा उर्दू में हस्ताक्षर

करने में असमर्थ है तो दायें अथवा बायें अंगूठे एवं

अंगुलियों के निशान

(क) कारपोरेशन सेवक के

(ख) पत्नी / पति या अन्य प्रार्थी के

5. वैयक्तिक पहचान

(क) कारपोरेशन सेवक के पहचान चिन्ह / ऊँचाई

(ख) पारिवारिक पेन्शन के पहचान चिन्ह एवं ऊँचाई

6— कारपोरेशन सेवक की पत्नी / पति के साथ पासपोर्ट

आकार में संयुक्त फोटो। कारपोरेशन सेवक की मृत्यु की दशा

में प्रार्थी का पासपोर्ट आकार में अपना फोटो (फोटो की

तीन प्रतियाँ दी जायेंगी जिनमें से दो अलग—अलग प्रपत्रों

पर चिपकाई जायेंगी तथा एक प्रति एक छोटे लिफाफे में

पेन्शन प्रपत्र के साथ अलग से लगा दी जायेगी।

फोटोग्राफ

सत्यापित

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा का नाम

दिनांक :

.....  
.....

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिंग

पेन्शन प्रपत्र (भाग—4)

सेवा का इतिहास, अवकाश एवं विवरण

कारपोरेशन सेवक का नाम व पद ..... जन्म तिथि

क्रमांक	कार्यालय का नाम जहाँ कार्य किया	पद का नाम	कब से कब तक (केवल दिनांक) दिये जाएं	अवकाश, असाधारण अवकाश, निलम्बन, प्रोन्नति पदवनति, प्रतिनियुक्ति, व्यवधान की अवधि (कारण सहित) व रूचभाव इंगित किया जाए	कब से कब तक	यदि कोई अवधि पेन्शनयुता नहीं है तो कारण सहित उसका विवरण दिया जाये
1	2	3	4	5	6	

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पता .....

दिनांक :

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

पेन्शन प्रपत्र (भाग—5)  
(कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग हेतु)

1. कारपोरेशन सेवक का नाम : .....  
.....
2. कारपोरेशन सेवक की जन्मतिथि .....  
.....
3. सेवा में आने का दिनांक .....  
.....
4. सेवा निवृत्ति का दिनांक .....  
.....

वर्ष                    मास                    दिन

5. कुल अवधि (4—3) .....  
.....
6. सैन्य सेवा जो पेन्शन के लिये अर्ह है, की अवधि .....  
.....
7. अन्य सेवा (यदि कोई हो) जिसे पेन्शन  
हेतु अर्ह माना गया .....  
.....
8. पेन्शन अनर्ह सेवा  
(क) 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की सेवा .....  
(ख) सेवा में विच्छेद .....  
(ग) पेन्शन के लिए अनर्ह निलम्बन की अवधि .....  
(घ) कोई अन्य सेवा जो पेन्शन हेतु अनर्ह हो  
(कारण सहित उल्लेख किया जाय) .....  
.....  
योग .....  
.....

वर्ष                    मास                    दिन

9. पेन्शन हेतु अर्ह सेवा की कुल अवधि  
(5 + 6 + 7 – 8) या ..... (छमाहियाँ)  
.....
10. पेन्शन का प्रकार प्रतिकर / अशक्तता / रिटायरिंग / अधिवर्षता  
.....
11. सेवानिवृत्ति के दिनांक को मूलनियम 9 (21)  
(1) में परिभाषित वेतन .....  
.....
12. औसत परिलब्धियों का आगणन .....  
.....

अन्तिम दस मास में प्राप्त परिलब्धियाँ

धारिता पद	दिनांक से	दिनांक तक	परिलब्धियाँ मूल नियम 9 (21) (1) में	अन्य
1	2	3	4	5

13. पेन्शन का आगणन
14. सर्विस ग्रेच्युटी का आगणन  
(पेन्शन अर्ह सेवा 10 वर्ष से कम होने पर पेन्शन के स्थान पर अनुमन्य)
15. सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी का आगणन
16. सेवा निवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि से कटौती (यदि कोई हो)
17. शुद्ध सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि
18. पारिवारिक पेन्शन का आगणन
  - (क) सामान्य दर
  - (ख) 7 वर्ष की सेवा के उपरान्त मृत्यु की दशा में दिनांक सामान्य दर का दो गुनी दर ..... दिनांक ..... से ..... तक
19. पेन्शन / पारिवारिक पेन्शन प्रारंभ होने का दिनांक
20. पेन्शन का भाग अथवा धनराशि जो आवेदित है तथा जिसका राशिकरण अनुमन्य है
21. राशिकृत मूल्य का आगणन
22. राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेन्शन की धनराशि
23. कार्यालय / खण्ड का नाम जहाँ से पेन्शन, सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु ग्रेच्युटी / राशिकरण के भुगतान आहरित किये जायेंगे
24. अनन्तिम पेन्शन / पारिवारिक पेन्शन  
(यदि स्वीकृत की गयी हो तो स्वीकृति की सत्यप्रति संलग्न की जाये)
25. अनन्तिम सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी  
(यदि स्वीकृत की गयी हो तो स्वीकृति की सत्यप्रति संलग्न की जाये)
26. पेन्शन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात दिनांक  
(यह तिथि सेवा निवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व की होनी चाहिए) तक
  - (1) भवन निर्माण में से रु. .... की धनराशि देना शेष है / कोई धनराशि शेष नहीं है।

(9)

- (2) मोटर कार/मोटर-साइकिल/स्कूटर/मोपेड आदि अग्रिम में से रु. .... की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।
- (3) किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से रु. .... की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।
- (4) कारपोरेशन भवन में आवास करने हेतु दिनांक ..... तक रु. .... की धनराशि किराये के रूप में अवशेष है/कोई धनराशि अवशेष नहीं है तथा सेवानिवृत्ति के दिनांक ..... तक रु. .... और देना शेष रह जायेगा।
- (5) आडिट के परिणामस्वरूप रु. .... की धनराशि देय है/कोई धनराशि शेष नहीं है।
- (6) विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणाम स्वरूप रु. .... की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।
- (7) अन्य मदों में (मद स्पष्ट की जाय) रु. .... की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।
- (8) श्री ..... (कारपोरेशन/सेवक का नाम) के विरुद्ध कोई न्यायिक/वैभागिय अथवा प्रशासनाधिकरण जाँच लम्बित नहीं है/है।

(यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण, जैसे यदि सरकार को वित्तीय हानि पहुँचायी गयी हो तो उसका आभार एवं धनराशि अथवा यदि गम्भीर दुराचरण के दोषी हों तो उसका विवरण दिया जाये।)

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
तथा पद नाम  
दिनांक :

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

पेन्शन प्रपत्र (भाग-5 अ)

(कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग हेतु)

कर्मचारी भविष्य निधि प्रमाण-पत्र

1. कारपोरेशन सेवक का नाम : .....
2. कारपोरेशन सेवक का पद : .....
3. सेवा में आने की तिथि .....
4. सेवा निवृत्ति की तिथि .....
5. कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत किये गये अंशदान का विवरण :-

क्रमांक क.भ.नि.से	पद	कब	कब	सेवक का अंश	कारपोरेशन का अंक	कुल योग	खाता	स्थानान्तरण/
आवरित		से	तक	अंश	ब्याज	अंश	ब्याज	संख्या
कार्यालय				दान		दान		वापसी का
का नाम								संदर्भ/विवरण

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

कुल योग :

6. कर्मचारी का अंश रु. ..... (ब्याज सहित) उसके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या ..... में (इकाई) ..... द्वारा माह ..... में क्रेडिट किया जा चुका है/ कर्मचारी को वापस किया जा चुका है।
7. कारपोरेशन का अंश रु. ..... (ब्याज सहित) माह ..... में पेन्शन रिजर्व खाता में (इकाई) ..... द्वारा क्रेडिट किया जा चुका है/ कर्मचारी को ..... वापस किया जा चुका है।
8. प्रमाण में एनेकजर "के" कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त ..... का पत्रांक ..... दिनांक ..... नथी है।
9. कभी सदस्य नहीं रहा।

उपरोक्त सूचना तैनाती के समस्त कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर दी जा रही है।

दिनांक :

कार्यालयाध्यक्ष के  
हस्ताक्षर व पदनाम

टिप्पणी : 5, 6, 7, 8 व 9 में जो लागू नहीं है काट दिया जाय।

टिप्पणी : उपरोक्त बिन्दु 5 (2) में उन कार्यालयों का नाम लिखा

जाना है जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत कटौती की गई है।

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

पेन्शन प्रपत्र -2

(अन्तिम देय प्रमाण-पत्र)

(सेवा निवृत्ति के उपरान्त दिया जायेगा)

प्रेषक

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक (लेखा) / उपमुख्य लेखाधिकारी,

संख्या—

दिनांक :

विषय : सम्पूर्ण सेवाकाल का अदेयता प्रमाण-पत्र

महोदय,

इस कार्यालय के श्री ..... (नाम) ..... (पदनाम) के पेन्शन प्रपत्र आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या ..... दिनांक द्वारा ..... स्वीकृतार्थ अग्रसारित किये गये थे। उपरोक्त अधिकारी / कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति होने पर दिनांक ..... को कार्यभार छोड़ दिया गया है।

2. उपरोक्त अधिकारी / कर्मचारी के अन्तिम दस माह की वास्तविक परिलक्षियों के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित सूचना के उपरान्त कोई परिवर्तन नहीं हुआ है / निम्न परिवर्तन हुआ है :—

अन्तिम दस माह की औसत परिलक्षियों का पुनरीक्षित आगणन :—

माह का नाम

मूल वेतन

रु.

3. इस कार्यालय के उपर्युक्त पत्र द्वारा दिनांक ..... को उपरोक्त अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध निम्न पदों में उनके विरुद्ध निम्नलिखित धनराशि शेष दर्शायी गयी थी :

1. भवन निर्माण अग्रिम रु. ....
2. मोटर कार / मोटर साइकिल / स्कूटर / मोपेड अग्रिम रु. ....
3. किसी अन्य प्रकार का अग्रिम रु. ....
4. कारपोरेशन आवास से सम्बन्धित धनराशि रु. ....
5. आडिट के परिणाम स्वरूप देय धनराशि रु. ....



(13)

## कारपोरेशन आवास रिक्तता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / स्व. श्री ..... ने / के परिवार के सदस्यों ने कारपोरेशन आवास खाली कर दिया है तथा तत्सम्बन्धी समस्त देयों का भुगतान भी कर दिया है।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष

तिथि व सील

### प्रारूप-2

#### कारपोरेशन आवास आवंटित तथा अध्यासन न होने के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / स्व. श्री ..... को कोई कारपोरेशन आवास न तो आवंटित किया गया था और न ही उनके द्वारा अध्यासित था तथा उनके विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई देय बकाया नहीं है।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष

तिथि व सील

#### सी. एस. आर. के अनुच्छेद 531 (बी) के अन्तर्गत घोषणा

(केवल राजपत्रित अधिकारियों द्वारा भरा जाना है)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं सेवा निवृत्त के उपरान्त दो वर्ष तक किसी वाणिज्यिक संस्थान में या ठेकेदार के रूप में या उसके कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं रहूँगा (जो कि सार्वजनिक कार्य जिसमें रेलवे तथा रक्षा से सम्बन्धित कार्य भी सम्मिलित है) जब तक कि मैं उक्त कार्य करने की उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. से पूर्व में ही स्वीकृति प्राप्त न कर लूँ।

## संलग्नक-1

पूर्ववर्ती परिषद आदेश संख्या 653-जी / रा.वि.प.-का-1-102ए / 1978 दिनांक 17.3.83 के अनुपालन में अन्तिम इकाई द्वारा सम्पूर्ण सेवा अवधि का अदेयता प्रमाण-पत्र सभी इकाईयों से मंगाना चाहिये। यदि किसी कारणवश किसी इकाई से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो पाये तो इस क्षतिपूर्ति विलेख को स्वीकार किया जाये। परन्तु किसी भी दशा में सेवा निवृत्त के पूर्व के पाँच वर्षों का अदेयता प्रमाण पत्र करना नितान्त आवश्यक है।

## इनडेमिनिटी बान्ड / क्षतिपूर्ति विलेख

यह क्षतिपूर्ति विलेख दिनांक ..... माह ..... सन् 20 ..... ई. को  
श्री ..... पुत्र श्री .....

निवासी ..... (बाध्यकारी) द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन  
लि. (जिसे एतद पश्चात 'कारपोरेशन' कहा गया है) यतः

1- उपर्युक्त नामित बाध्यकारी कारपोरेशन की सेवा में ..... (पद) पर पावर  
..... (खण्ड / इकाई) में कार्यरत है / था।

2. उपर्युक्त नामित बाध्यकारी दिनांक ..... को सेवानिवृत्ति होने जा रहा है / हो गया है।

3. बाध्यकारी के हित में पेन्शन तथा आनुतोषित आदि की स्वीकृति किये जाने से पूर्व कारपोरेशन के सक्षम / सम्बन्धित अधिकारी द्वारा बाध्यकारी के हित में अदेयता प्रमाण पत्र जारी किये जाने की आवश्यकता है, परन्तु उक्त प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किया जा सका है तथा उसके जारी होने में अभिलेखों की जाँच / संविक्षा में अभी कुछ और समय लगने की सम्भावना है।

4. बाध्यकारी के हित में कारपोरेशन पेन्शन तथा आनुपोषिक आदि स्वीकृत करने के लिये इस शर्त पर तैयार है कि बाध्यकारी, निम्न साक्ष्यों की उपस्थिति में एक क्षतिपूर्ति विलेख निष्पादित करेंगे जिससे कि कारपोरेशन की क्षतिपूर्ति हो सके तथा सम्भावित क्षति से कारपोरेशन सुरक्षित हो सके जो कि बाध्यकारी की सेवा निवृत्त के दिनांक अथवा इस क्षतिपूर्ति विलेख के निष्पादन की तिथि से दो वर्षों के समयाकाल में बाध्यकारी के विरुद्ध बकाये अथवा अन्य किसी रूप में पायी जाये।

अतः यह विलेख साक्षांकन करता है कि :-

(1) चूंकि कारपोरेशन बाध्यकारी के हित में निम्नलिखित सेवाकाल की अवधियों का 'अदेयता प्रमाण पत्र' जारी होने के पूर्व ही पेन्शन तथा आनुतोषित आदि की स्वीकृति करने के लिये तैयार है, अतः प्रतिफल में बाध्यकारी कारपोरेशन के साथ प्रसंविदा करता है कि बाध्यकारी कारपोरेशन की माँग करने पर उन समस्त धनराशि की अदायगी करेगा जो कि बाध्यकारी की सेवा निवृत्त की तिथि अथवा इस क्षतिपूर्ति विलेख के निष्पादन की तिथि से दो वर्षों के समयाकाल में बाध्यकारी के विरुद्ध अदेय पायी जायेगी:-

सेवारत इकाई / खण्ड का नाम  
जहाँ से अदेयता प्रमाण पत्र  
प्राप्त नहीं हो सका

..... दिनांक ..... से .....

तदैव ..... दिनांक ..... से .....

तदैव ..... दिनांक ..... से .....

- (2) कारपोरेशन के समक्ष / सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जो कि अन्तिम, निश्चायक एवं बाध्यकारी पर बन्धनकारी होगा, के अनुसार यदि कोई धनराशि इस विलेख के अन्तर्गत बकाया रह जाती है तो उस बकाया धनराशि की वसूली भू-राजस्व की वसूली के रूप में बाध्यकारी से वसूल की जायेगी।

उपरोक्त लिखित बन्ध तथा उसमें वर्णित शर्तों के साक्ष्य में निम्नांकित साक्षियों की उपरिथिति में उपर्युक्त प्रथम लिखित तारीख पर बाध्यकर ने अपने हस्ताक्षर अंकित किये हैं :—

साक्षी :—

1. ह0 ..... हस्ताक्षर

पता .....

.....  
बाध्यकारी

2. ह0 .....

पता .....

पूर्ववर्ती परिषद आदेश संख्या 653-जी / रा.वि.प.-का-1-102ए / 1978 दिनांक 17.3.83 के अनुपालन में अन्तिम इकाई द्वारा सम्पूर्ण सेवा अवधि का अदेयता प्रमाण-पत्र सभी इकाईयों से मंगाना चाहिये। यदि किसी कारणवश किसी इकाई से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो पाये तो इस क्षतिपूर्ति विलेख को स्वीकार किया जाये। परन्तु किसी भी दशा में सेवा निवृत्त के पूर्व के पाँच वर्षों का अदेयता प्रमाण पत्र करना नितान्त आवश्यक है।

### इनडेमिनिटी बान्ड/क्षतिपूर्ति विलेख

यह क्षतिपूर्ति विलेख दिनांक ..... माह ..... सन् 20 ..... ई.को (1)  
 श्रीमती / श्री ..... पत्नी / पुत्र स्व. श्री .....

निवासी .....  
 (बाध्यकारी प्रथम) तथा (2) श्री ..... पुत्र .....  
 निवासी ..... (बाध्यकारी द्वितीय) संयुक्त रूप से "बाध्यकारी" द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि। (जिसे एतदपश्चात 'कारपोरेशन' कहा गया है ) के पक्ष में निर्गित किया गया है।

(1) स्व. श्री ..... उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. (कारपोरेशन) की सेवा में ..... पद पर पावर .....  
 (खण्ड / इकाई का नाम) में कार्यरत थे।

(2) स्व. श्री ..... "मृतक" की मृत्यु दिनांक ..... को हो गयी तथा उनके परिवार की पारिवारिक पेन्शन एवं मृत्यु आनुतोषिक की स्वीकृति की जानी है।

(3) बाध्यकारी प्रथम मृतक का ..... (सम्बन्ध) तथा बाध्यकारी-द्वितीय मृतक का ..... (सम्बन्ध) है और वह / वे पारिवारिक पेन्शन एवं मृत्यु आनुतोषिक पाने के पात्र है / हैं।

(4) बाध्यकारी के पक्ष में पारिवारिक पेन्शन / मृत्यु आनुतोषिक आदि की स्वीकृति से पूर्व उक्त कारपोरेशन के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मृतक कर्मचारी के पक्ष / हित में अदेयता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की आवश्यकता है परन्तु उक्त प्रमाण-पत्र अभी तक जारी नहीं किया जा सका है तथा उसके जारी होने में अभिलेखों की जाँच / संविक्षा में अभी और समय लगने की सम्भावना है।

(5) बाध्यकारी / बाध्यकारियों के हित में कारपोरेशन पारिवारिक पेन्शन तथा मृत्यु आनुतोषिक आदि स्वीकृत करने के लिए इस शर्त पर तैयार है कि बाध्यकारी निम्न साक्षियों की उपस्थिति में, एक क्षतिपूर्ति विलेख निष्पादित करेंगे जिससे कि कारपोरेशन की क्षतिपूर्ति हो सके तथा उस सम्भावित क्षति से कारपोरेशन सुरक्षित हो सके जो कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु अथवा इस क्षतिपूर्ति विलेख के निष्पादन की तिथि से दो वर्षों के समयाकाल में मृतक कर्मचारी के विरुद्ध बकाये अथवा अन्य किसी रूप में पायी जाये। अतः यह विलेख साक्षांकन करता है कि :-

- (1) चूँकि कारपोरेशन बाध्यकारी के हित में “अदेयता प्रमाण—पत्र” जारी होने के पूर्व ही परिवारिक पेन्शन, मृत्यु आनुतोषिक आदि की स्वीकृति करने के लिए तैयार है, अतः प्रतिफल में बाध्यकारी प्रसंविदा करता है कि अगर आवश्यकता हुयी तो (वह स्वयं या सामूहिक प्रसंविदा के अनुसार) बाध्यकारी कारपोरेशन की माँग करने पर उन समस्त धनराशि की अदायगी करेगा जो कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से या इस विलेख के निष्पादित होने के दो वर्ष के समयाकाल में मृतक कर्मचारी के विरुद्ध अदेय पायी जाएगी परन्तु उक्त अदायगी की धनराशि परिवारिक पेन्शन तथा मृत्यु आनुतोषिक की देय धनराशि से अधिक नहीं होगी जो कि बाध्यकारी को दी जायेगी।
- (2) कारपोरेशन के सक्षम सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र जो कि अन्तिम, निश्चायक एवं बाध्यकारी पर बन्धनकारी होगा, के अनुसार यदि कोई धनराशि इस विलेख के अन्तर्गत बकाया रह जाती है तो उस बकाया धनराशि की वसूली भू—राजस्व की वसूली के रूप में बाध्यकारी से वसूल की जायेगी।

उपरोक्त लिखित बन्ध तथा उसमें वर्णित शर्तों के साक्ष्य में निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में उपर्युक्ता प्रथम लिखित तारीख पर बाध्यकार / बाध्यकारों ने अपने हस्ताक्षर अंकित किये है :—

1. ह0 .....	हस्ताक्षर
पता .....	.....
.....	.....
	बाध्यकारी (प्रथम)
2. ह0 .....	हस्ताक्षर
पता .....	.....
.....	.....
	बाध्यकारी (द्वितीय)

पूर्ववर्ती परिषद आदेश संख्या 653-जी/रा.वि.प.-का-1102ए/1978 दिनांक 17.3.83 के अनुपालन में सेवा पुस्तिका में सम्पूर्ण सेवा अवधि का सेवा सत्यापन नितान्त आवश्यक है। यदि किसी कारणवश किसी अवधि का सेवा सत्यापन पूर्ण नहीं कराया जा सकता तो इस शपथ पत्र को स्वीकार किया जाना चाहिए।

पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर निम्नलिखित शपथ-पत्र दिया जाय।

## शपथ-पत्र

मैं ..... आत्मज श्री ..... जो .....  
..... (पदनाम) पर/से ..... (कार्यालय का नाम) कार्यरत  
हूँ/दिनांक को सेवानिवृत्ति हो चुका हूँ शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ :-

(1) कि शपथी ने निम्नलिखित अवधि/अवधियों में उनके सम्मुख उल्लिखित कार्यालय/कार्यालयों में तथा पद/पदों पर पूर्ववर्ती उ.प्र. रा.वि.प. (सम्प्रति उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि.) की सेवा की है :-

सेवा अवधि	कार्यालय का नाम	पद नाम
-----------	-----------------	--------

.....

(2) शपथी को बताया गया कि उनके द्वारा दी गई उपर्युक्त सेवा/सेवाओं के सम्बन्ध में 'शपथी' की सेवा पुस्तिका उपलब्ध में सत्यापन नहीं है।

(3) कि उपर्युक्त सेवा अवधियों में कोई व्यवधान सेवा से त्यागपत्र देने, बरखास्त कर दिये जाने अथवा सेवा से निकाल दिये जाने अथवा किसी हड्डताल में भाग लेने के कारण नहीं हुआ/हुए हैं।

मैं ..... (शपथी) घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त शपथ पत्र के अनुच्छेद (1) तथा (2) तथा X का कथन मेरी पूर्ण जानकारी में सत्य है और कोई भी आवश्यक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आज दिनांक ..... को ..... (स्थान का नाम) शपथी द्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रमाणित।

शपथी

X व्यवधान न होने की दशा में काट दिया जाय।